(17)

संचालनालय कोष एवं लेखा
म0प्र0 भोपाल

क्रमांक/एस.ए.एस./स्था/10/ भोपाल, दिनांक /07/10

संचालनालय आ. क्र. 8879 दिनांक 8.7.10

प्रति,

समस्त कोषालय अधिकारी
म0प्र0।

विषय:- विभागाध्यक्ष कार्यालयों द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृतियों पर वित्तीय सलाहाकार के हस्ताक्षर के संबंध में।

संदर्भ:- म0प्र0 शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ-5(ए)2/2009/ई/चार भोपाल दिनांक 25.02.2009

म0प्र0 शासन वित्त विभाग द्वारा संदर्भित पत्र (संलग्न) मे निर्देश जारी किये गये है कि विभागाध्यक्ष कार्यालयों द्वारा वित्तीय प्रभाव डालने वाली सभी स्वीकृतियाँ वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर से ही जारी की जाये। जिन कार्यालयों मे वित्त अधिकारी पदस्थ न हो वहाँ जिस अधिकारी को वित्त अधिकारी के उत्तरदायित्व का प्रभार (प्रभारी अधिकारी) सौंपा गया हो, उसके हस्ताक्षर से स्वीकृतियाँ जारी की जाये। वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर के बिना जारी स्वीकृतियों के आधार पर तैयार देयक का भुगतान नहीं किया जाये।

उक्त निर्देशों के जारी होने के बावजूद यह पाया गया है कि जिला कोषालयों से, विभागाध्यक्ष कार्यालयों से जारी वित्तीय प्रभाव रखने वाली स्वीकृतियों के विरूद्ध आहरण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत ऐसे देयक भी पारित किये जा रहे है, जिनकी स्वीकृतियां वित्त अधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। यह स्थिति उपयुक्त नहीं है, अत: पुन: निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय प्रभाव रखने वाली स्वीकृतियों के विरूद्ध तैयार ऐसे देयक जिनकी स्वीकृतियाँ वित्त अधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है, स्वीकार नही किये जाए। 01.08.2010 के पश्चात् यदि ऐसा कोई भी देयक वित्त विभाग के निर्देशों के विपरीत पारित किया जाना पाया गया तो उसे गंभीरता से लिया जाकर संबंधित कोषालय अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

आयुक्त

पृ.क्र./एस.ए.एस./स्था/10/156 भोपाल, दिनांक 19/07/10

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, म0प्र0।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन म0प्र0।

की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के संदर्भित आदेश का पालन सुनिश्चित कराये।

संयुक्त संचालक